e-office No. 546875 19/CF

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (भर्ती प्रकोष्ठ / RECRUITMENT CELL)

सं.मि-2.3/2018-स्था.(भर्ती) No.F.2-3/2018-Estt.(RCT) अंसारी नगर ,नई दिल्ली 29-Ansari Nagar, New Delhi-29 दिनांक / Dated :

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

28 FEB 2019

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ,नई दिल्ली में कार्यालय अधीक्षक (सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा द्वारा 40 %की प्रणाली के तहत के पद पर पदीन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Office Superintendent (under mode of 40% by Limited Departmental Competitive Examination) at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 18.08.2018 को कार्यालय अधीक्षक पद हेतु आयोजित सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम अधिसूचना सं 157/2018 के परिणामस्वरूप और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत, निम्नलिखित सहायक (गैर-सचिवीय) को वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 + रु.4200 ग्रेड पे में कार्यालय अधीक्षक के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है -:

Consequent upon their qualifying the Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) held on 18.08.2018 vide Result Notification No.157/2018 and its acceptance by the Competent Authority, the following Assistant (N.S.) are promoted to the post of Office Superintendent in the PB-2 Rs.9300-34800plus grade pay of Rs.4200 from the date they assume the charge of the post of Office Superintendent:-

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name		विभाग / अनुभाग Department / Section	
1.	श्री राजेश कुमार		सामान्य अनुभाग	
	Shri Rajësh Kumar	110	General Section	
2.	श्री स्रजीत सिंह		जैव प्रौद्योगिकी विभाग	
	Sh. Surjeet Singh	1	Deptt. of Biotechnology	
3.	श्रीमति विजया लक्ष्मी नायर		वित्त विभाग	
	Mrs. Vijaya Lakshmi Nair		Finance Division	

्वे सभी दिल्ली/नई दिल्ली / एन.सी.आइ./ बाढ्सा ,झज्जर ,एन.डी.डी.टी.सी ,गाज़ियाबाद वर्तमान में बल्लबगढ में स्थित रुरल केन्द्रीं या भविष्य में संस्थान द्वीरा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जीने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana), NDDTC, Ghaziabad, Outreach OPD, Jhajjar, Haryana and at any other centre opened by the Institute in future.

वे दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अविध के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित हैं जिसमे असफल रहने पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation they will be required to put in satisfactory service failing which their services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

Contd..2..





उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने कि तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्तें उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वेतन बैंड-1 रु.९३००-३४८०० + रु.४२०० ग्रेड पे प्रदान नहीं किया गया।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted PB-2 Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200 under ACP/MACP Scheme.

कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नित की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस. एल. पी. के परिणाम या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Office Superintendent is subject to outcome of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लाग हैं, पूर्वानसार ही रहेंगी। Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

## प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

10

संबंधित व्यक्ति/Persons concerned

[Through:- उनके संबंधित विभागाध्यक्षा/ ऑफिसर इनचार्ज / Their respective HoD/Financial Advisor/Administrative Officer]

- 1) उप सचिव / Deputy Secretary
- 2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग / Head, Department of Biotechnology
- वित्तीय सलाहकार / Financial Advisor
  प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य अनुभाग) // Administrative Officer (General Section)
- 5) निदेशक/उप निदेशक/सी.ए.ओ. के पी.पी.एस./पी.एस // PPS/PS to Director/DDA/CAO
- 6) स्थापना अन्भाग (नि.का.) // Establishment Section D.O.
- 7) लेखा अन्भाग II & III // Accounts Section II & III
- 8) सतर्कता प्रकोष्ठ / ACR प्रकोष्ठ / SC/ST प्रकोष्ठ // Vigilance Cell / ACR's Cell /SC/ST Cell
- 9) गार्ड फ़ाइल्र् // Guard File
- 10) प्रोफ्रेसर-इन-चार्ज कंप्यूटर स्विधा संस्थान की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के अनुरोध के साथ Professor-in-charge Computer Facility- with the request to upload it on Institute website.